

अनु० - 18 - उपाधियों का अर्थ :-

↳ अंग्रेज के द्वारा ज्मान से पहले लगने वाली उपाधी लायी गयी थी, जिसे समाप्त कर दिया गया.

↳ लॉर्ड, सर, रायबहादुर, नाइट हुड आदि उपाधि समाप्त।

M.A.
डा

P.h.d.
डा

Engg.

एच.

- 1 - संघ या राज्य राष्ट्रपात के पूर्व अनुमति पर शिक्षा, स्वास्थ्य, शौर्य, के क्षेत्र में प्रदान कर सकते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, परम विर
- 2 - यदि भारतीय नागरिक को विदेश में उपाधी मिल रही हो, तो उपाधी गृहण करने से पूर्व राष्ट्रपात की अनुमति आवश्यक है।

③ - भारतीय विधि के अन्तर्गत आने वाला व्यक्ति यदि भारत से बाहर उपाधी गृहण करता है तो राष्ट्रपात की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

स्वतन्त्रता का अधिकार :- अनु-19-22.

अनु-22 :- स्वतन्त्रता के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है।

19-a - वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता -

बोलना

है।

19-II - धाराजा रोक्षण की स्वतन्त्रता.

19-III-a - प्रेस की स्वतन्त्रता.

19-b :- शान्तिपूर्ण सभा को सम्बोधित करने का अधिकार.

19-c :- संस्था, समिति संगठन बनाने का अधिकार
सहकारिता -




बोलने a
सभा b
संगठन c
चुनने d
बसने e
सम्पत्ति ही भी
व्यापार f

19-d :- भारत क्षेत्र में कोई पर भी चुनने का अधिकार
19-e :- भारत में कोई पर भी निवास करने का अधिकार

19-f :- सम्पत्ति की स्वतन्त्रता

19-G :- जिंका चलाने के लिए व्यापार की स्वतन्त्रता

अनु-20 - अपराध और अपराध सिद्धि से स्वतन्त्रता.



का अधिकार



चोरी ✓



पुलिस ✓



चोर ✓



व्यापलय ✓

⇒ एक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्डित नहीं किया जाएगा। - कोहरे बतरे से संरक्षित।

→ विधि का भुललाघि प्रभाव नहीं होगा।

③ किसी अभिप्रेत को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए वाध्य नहीं किया जाएगा।

अस-4 ⇒ अस-2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन

संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होगा

106th
CART

साधारण हुकम
UP/UK
विहार/मकरा

अस-1 अस-4
29 28
9 8
सामान्य